इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231]　　भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 मई 2013—वैशाख 31, शक 1935

खेल और युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2013

क्र. एफ 2-33-2011-नौ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विभागीय अधिसूचना क्र. एफ. 2-16-04-नौ, दिनांक 5 अप्रैल, 2005 द्वारा बनाये गये पुरस्कार नियम, 2005 (विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र पुरस्कार एवं लाईफ टाईम एचिवमेन्ट पुरस्कार) में संशोधन करते हुए मलखम्ब खेल में सर्वाधिक उपलब्धि अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को स्व. श्री प्रभाष जोशी के नाम पर प्रतिवर्ष प्रचलित खेल पुरस्कार नियम, 2005 के अंतर्गत रुपये एक लाख के राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित करने के उद्देश्य से पुरस्कार क्रमांक 4 ''लाईफ टाईम एचिवमेन्ट पुरस्कार'' के उपरांत क्रमांक 5 पर ''स्व. श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार'' जोड़ा जाता है, अर्थात्:—

5. स्व. श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार

5.1 **उद्देश्य.**—राज्य खेल मलखम्ब के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी को, जब वे अपनी सफलता की ऊंचाई पर हों, प्रोत्साहित करना ताकि मलखम्ब खेल के प्रति आकर्षण बढ़े तथा खेलकूद के विकास को बढ़ावा मिले.

5.2 **पात्रता** :—

1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो.
2. आवेदक द्वारा विगत 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष तक मलखम्ब की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए एक-एक पदक प्राप्त किया हो अथवा कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक प्राप्त किया हो.
3. मूल्यांकन का आधार संलग्न तालिका में दर्शाए अनुसार प्राप्त अंक होंगे.
4. पुरस्कार की पात्रता विगत 5 वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर की जाएगी.
5. न्यूनतम 40 अंक खिलाड़ी को प्राप्त करना अनिवार्य होगा, समान अंक होने की स्थिति में समिति/शासन का निर्णय अंतिम होगा.
6. प्रबंधक एवं प्रशिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन का पात्र नहीं होंगे.

7. पुरस्कार हेतु वर्ष की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी.

8. पुरस्कार के विगत 3 वर्षों में खिलाड़ी द्वारा अन्य राज्य की ओर से राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व न किया हो.

5.3 **चयन.**—आवेदनों का परीक्षण शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा. समिति पात्र खिलाड़ियों को प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार देने की अनुशंसा करेगी. इस संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा, जिसके विरुद्ध किसी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा.

5.4 **भुगतान**:—

1. खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के रूप में रुपये 1,00,000/-, ब्लेजर (क्रेस्ट सहित), टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण-पत्र के साथ दिया जावेगा.

2. पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उनके निवास स्थान से समारोह के स्थान तक दोनों ओर का न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से वास्तविक रेल/वाहन किराया तथा 100/- प्रतिदिन के मान से दैनिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.

3. पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के आवास, भोजन एवं परिवहन की व्यवस्था की जावेगी.

5.5 **शर्तें**:—

1. पुरस्कार वाले वर्ष में अगर अनुशासनहीनता के लिए कोई खिलाड़ी या टीम मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा स्वीकृत चैम्पियनशिप से निष्काषित किया गया हो तो उस वर्ष में उसे पुरस्कार की पात्रता नहीं होगी.

2. प्रतिवर्ष एक खिलाड़ी को अंकों की वरीयता के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा.

3. सामान्य तौर पर एक वर्ष में एक से अधिक खिलाड़ी को पुरस्कृत नहीं किया जाएगा.

4. पुरस्कार के पूर्व खिलाड़ी के अनुशासन, सामान्य व्यवहार तथा चरित्र का भी ध्यान रखा जावेगा, खिलाड़ी की ओर से किसी भी प्रकार का दबाव, सिफारिश या प्रलोभन उसकी अयोग्यता का कारण बन सकता है.

5.6 **पुरस्कार हेतु आवेदन प्राप्त करने का तरीका**:—

1. प्रत्येक वर्ष खिलाड़ियों से नियमों के अंतर्गत प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 15 मई तक प्राप्त किया जाएगा.

2. सचिव, मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण/संचालक, खेल और युवा कल्याण को खिलाड़ियों से सीधे आवेदन-पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा.

3. मध्यप्रदेश मलखम्ब एसो. द्वारा अधिकतम 3 पात्रता रखने वाले खिलाड़ियों के नामों की अनुशंसा वरीयता क्रम (मेरिट) के अनुसार कर सकता है. संघ/संगठन अपनी सिफारिशों के साथ खिलाड़ियों की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण भी संलग्न करेगा.

4. बिना आवेदन प्राप्त किए हुए भी खेल एवं युवक कल्याण विभाग/मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण परिषद् ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को योग्यता के आधार पर पुरस्कार के लिये चयन कर सकता है.

नोट:—

1. मान्यता प्राप्त अधिकृत राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्राप्त उपलब्धि ही चयन हेतु परीक्षण योग्य होगी.

2. समान अंक होने की दशा में वरिष्ठ खिलाड़ी (आयु अनुसार) को प्राथमिकता दी जाएगी.

निरसन.—मलखम्ब खेल में पूर्व में दिये गये पुरस्कार इस नियम के तहत् माने जावेंगे.

संशोधन.—शासन इस नियमों में संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन/शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम रहेगा. उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील माने जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि कर्णावत, उपसचिव.

श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार हेतु आवेदन-पत्र

दिनांक . . . .

प्रति,

संचालक,
खेल और युवा कल्याण,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

आवेदन-पत्र के साथ केवल विगत पांच वर्षों में अर्जित की गई उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ही संलग्न की जाए.

1. (अ) आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....
   (ब) पिता/माता का नाम ....
   (स) जन्मतिथि (वैद्य दस्तावेज संलग्न करें) ....
   (द) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता ....

   .... पिन कोड . . . .

   फोन/फेक्स/मोबाईल नं. . . . .

2. अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का विवरण:—

वर्ष	प्रतियोगिता का नाम, स्थान एवं तिथि	उपलब्धि			भागीदारी
		स्वर्ण	रजत	कांस्य	

3. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि श्री/सुश्री .... प्रशिक्षक .... पता .... द्वारा मुझे (अवधि) .... से .... तक स्थान/संस्था .... में प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

घोषणा-पत्र

मैं घोषित करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है. मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाने की दशा में आवेदन-पत्र निरस्त किया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं विधि अनुसार उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी.

आवेदक के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.